बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग
संकल्प

विषयः— **बिहार राज्य के जिलों में भूकम्परोधी घरों के निर्माण तथा पुराने घरों के रेट्रो फीटिंग के लिए नागरिकों को तकनीकी परामर्श एवं सहायता उपलब्ध कराने संबंधी विशेष सेल के गठन की स्वीकृति के संबंध में।**

बिहार देश का सर्वाधिक आपदा प्रवण राज्य है, जो अपनी विशेष भौगोलिक संरचना एवं प्राकृतिक कारणों से प्रायः प्रत्येक वर्ष किसी न किसी प्राकृतिक आपदा से आक्रान्त होता रहता है। इसी प्रकार भूगर्भीय स्थिति के कारण भी बिहार राज्य की स्थिति भूकम्प के दृष्टिकोण से अत्यंत संवेदनशील है। राज्य के 38 जिलों में से 33 जिले भूकम्प के सर्वाधिक संवेदनशील जोन –V, IV और III में स्थित हैं, जहाँ भूकम्प का खतरा सदैव बना रहता है। हाल के वर्षों में भूकम्प के कई झटके महसूस किये गये। गत् वर्ष माह अप्रैल एवं मई 2015 में आये नेपाल के भूकम्प से बिहार राज्य सर्वाधिक प्रभावित रहा। राज्य में जान–माल की भारी क्षति हुई, साथ ही राज्य के विभिन्न हिस्सों में अनेक भवन क्षतिग्रस्त हो गये। भवनों के क्षतिग्रस्त होने से न केवल आर्थिक हानि होती है, बल्कि लोगों का जीबन भी संकटग्रस्त रहता है।

2. भूकम्प की घटनाओं के दृष्टिगत क्षति को न्यून करने के लिए भवनों का भूकम्परोधी निर्माण तथा रख–रखाव आवश्यक है। भूकम्परोधी निर्माण के लिए लोगों में जागरूकता एवं ज्ञान भी आवश्यक है।

3. अतएव राज्य में भूकंपरोधी घरों के निर्माण तथा पुराने घरों के रेट्रो फीटिंग के लिए नागरिकों को तकनीकी परामर्श एवं सहायता उपलब्ध कराने हेतु भवन निर्माण विभाग के अधीन राज्य एवं प्रत्येक कार्य प्रमंडल में कार्यपालक अभियंताओं के अधीन विशेष सेल का गठन किया जाता है। इस सेल में पदस्थापित सभी पदाधिकारियों को आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा प्रशिक्षित कराया जाएगा तथा सेल गठन की जानकारी आमलोगों तक पहुँचाई जाएगी, ताकि वे सेल की विशेषज्ञता का लाभ उठा सकें। भवन निर्माण विभाग आवश्यकतानुसार इन विशेष सेलों के लिए अलग से पदों का सृजन एवं पेशेवर अभियंताओं की सेवाएँ लेने पर विचार कर सकता है।

आदेशः-- **आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय।**

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह0 / –
(व्यास जी)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–01 / प्रा0आ0–01 / 2016 / .... / आ0प्र0, पटना–15 दि0–
प्रतिलिपि– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना–7 तथा ई0 गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ (दो प्रतियों में) प्रेषित।
ह0 / –
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–01 / प्रा0आ0–01 / 2016 / .... / आ0प्र0, पटना–15 दि0–
प्रतिलिपि– प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
ह0 / –
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–01 / प्रा0आ0–01 / 2016 / .... / आ0प्र0, पटना–15 दि0–
प्रतिलिपि– सभी प्रधान सचिव / सचिव / सभी प्रमण्डलीय आयुक्त / सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रबाई हेतु प्रेषित।
ह0 / –
सरकार के प्रधान सचिव।

D:\2016\sanjay sinha\sanlekh 24-08-2016 docx.docx

ज्ञापांक–01 / प्रा0आ0–01 / 2016 / .... / आ0प्र0, पटना–15 दि0–
प्रतिलिपि – विकास आयुक्त / मुख्य सचिव-को सूचनार्थ प्रेषित ।

ह0 / –
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक–01 / प्रा0आ0–01 / 2016 / 3374 / आ0प्र0, पटना–15 दि0– 6/9/16
प्रतिलिपि – मा0 मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव / मा0 मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित ।

6/9
सरकार के प्रधान सचिव

D:\2016\sanjay sinha\sanlekh 24-08-2016 docx.docx